राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2835/2025

श्रीमति राधा पाण्डे

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, जल संसाधन विभाग, कोटा।
4. पंचायत समिति, इटावा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.05.2025
आदेश की दिनांक : 02.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी, जल संसाधन विभाग, संभाग कोटा द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जयपुर को दिनांक 6.2.2020 के पत्र के माध्यम से की गई सिफारिशों के आधार पर औपचारिक आदेश पारित नहीं करने को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री सुरेश पांडे की मृत्यु के कारण 1,60,070/– रुपये की राशि माफ करने/बट्टे खाते में डालने के संबंध में कहा गया है, लेकिन कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया और अपीलार्थी द्वारा अपने वकील के माध्यम से न्याय की मांग के लिए भेजे गए नोटिस पर भी विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पति जो ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक 20.9.2010 को सेवाकाल के दौरान हो गई तथा सेवाकाल के दौरान उन्होंने सरकारी आवास का लाभ लिया, किन्तु पति के जीवन काल में किराये व शास्ति के सम्बन्ध में कोई वसूली आदेश जारी नहीं किया गया तथा पति की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी को आश्रित नियमों के अन्तर्गत एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया तथा वर्तमान में वे जल संसाधन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मुख्य लेखा अधिकारी, वार्ड डिवीजन कोटा ने मुख्य अभियंता को 6.2.2020 को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सामान्य वित्त लेखा नियम 23 भाग I और भाग III के अनुसार, अपीलार्थी के विरूद्ध देय राशि उसके पति की मृत्यु के कारण माफ/बट्टे खाते में डालने योग्य है, जिसमे तीन अन्य कर्मचारी भी शामिल है।

(अनुलग्नक–2) विभाग के कोटा कार्यालय ने पहले ही 6.2.2020 को अपीलार्थी के पति के खिलाफ उनकी मृत्यु के कारण देय राशि को लिखने की सिफारिश की है, लेकिन आज तक कोई प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किया गया है और वस्तुतः प्रतिवादी अपीलार्थी को उक्त राशि जमा करने के लिए कह रहे हैं। अपीलार्थी कई बार अधिकारियों से मिली लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश पारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग के लिए एक नोटिस भी भेजा लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। (अनुलग्नक–1)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के पारित आदेश दिनांक 06.02.2020 के अनुशंसा पत्र के अनुसरण में औपचारिक आदेश पारित करने के निर्देश दिए जावे ताकि अपीलार्थी के पति के विरूद्ध देय 1,60070/– की राशि को माफ किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष